सं.केरेबो/क्षे.रे.अ.के./कोडति//सीपीपी/ किराए पर वाहन/2024-25 दिनांक 18-05-2024

स्पीड पोस्ट/केरेबो पोर्टल

सेवा में,

वाहन मालिक/वाहन प्रदाता

विषय- क्लस्टर प्रमोशन कार्यक्रम के तहत कार/ किराए पर वाहन लेने हेतु कोटेशन के आमंत्रण के संदर्भ में ।
संदर्भ- क्रमांक.केरेबो/आर.टी.आई/सीम/एमएमसी/एचओवी/2023-24/25-03-2024

महोदय,

बेंगलूरू ग्रामीण, रामानगर, तुमकुर और सिरा मेगा क्लस्टर के गांवों में क्षेत्र -दौरा/रेशम उत्पादन फसल पर्यवेक्षण के लिए मासिक आधार पर ड्राइवर के साथ कार वाहन/एसी कार किराए पर लेने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दर कोटेशन आमंत्रित किए जा रहे है।

मेगा क्लस्टर	संबद्ध क्लस्टर	किलोमीटर	अपेक्षित वाहन
बेंगलूरू ग्रामीण मेगा क्लस्टर	गौरीबिदानूर और तुबुगेरे	3750	1
	अंदार्टाहल्ली और चन्नारायपटना हारोहल्ली (होस्कोटे क्षेत्र)		
रामनगर मेगा क्लस्टर	बन्निकुप्पे और हारोहल्ली (के)	3000	1
	कनकपुरा और डोड्डाहलहल्ली		
तुमकुर और सिरा मेगा कलस्टर	तुमकुर और सिरा	3500	1
	वाई एन होसकोटे (पवागडा)	2000	1

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार वाहनों की आवश्यकता है, (जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक प्रभावी)

<u>वाहन किराये पर लेने हेतु निबंधन एवं शर्तें</u>

1. किराये पर वाहन लेने का आधार केवल किलो मीटर के अनुसार है।
2. एक माह में सात दिनों के लिए वाहन की आवश्यकता - कुल संख्या 20 दिनों के लिए।
3. मासिक उपयोग किलोमीटर या ड्यूटी के घंटे के आधार पर होगा । हालाँकि, किलोमीटर की संख्या भिन्न हो सकती है और भुगतान उस माह उपयोग किए गए किलोमीटर की संख्या के आधार पर होगा।
4. यदि वाहन का उपयोग उपरोक्त के विनिर्दिष्ट से बढ़ता है, तो किमी के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा और यदि वाहन का उपयोग उपरोक्त निर्धारित घंटों से अधिक है, तो अतिरिक्त अवधि का भुगतान प्रति घंटे के आधार पर किया जाएगा।
5. उद्धृत दर में ड्राइवर भत्ता, पथ-कर, कर आदि सभी शामिल होंगे।
6. किराये पर लिया गया वाहन 5-8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर पीला बोर्ड लगा होना चाहिए और चलने की अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
7. वाहन खराब होने की स्थिति में, वाहन प्रदाता को सेवा प्रदाता की लागत पर 24 घंटे के भीतर वाहन को बदलना होगा या इसे वाहन के मासिक किराये से समायोजित किया जाएगा।
8. यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं और इससे सरकारी कार्य में बाधा आती है तो प्राधिकारी के पास अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. वाहन क्लस्टर मुख्यालय से चलेगा और वाहन की आवाजाही केवल क्लस्टर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।
10. वाहन और ड्राइवर के पास वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/पैन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, प्रदूषण-परीक्षण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि होना चाहिए।
11. सक्षम प्राधिकारी वाहन किराये पर लेने हेतु अंतिम निर्णय लेंगे।
12. कोटेशन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।
13. वाहन प्रदाता के पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत पंजीकृत पैन नंबर होना चाहिए, टीडीएस दर चार्ट के नियम 194-सी के तहत भुगतान के समय टीडीएस [स्रोत पर कर कटौती] प्रभावी होगी।
14. वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति जारी करने के बाद वाहन प्रदाता के साथ जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक केवल अनुबंध अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराने का अनुबंध करना होगा। यदि वाहन उपलब्ध कराना बंद किया जाता है तो वाहन प्रदाता के खिलाफ 10% की दर से दंड प्रभार लगाए जाएंगे।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी कोटेशन जिसमें नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं है उसे आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है
16. कोटेशन जारी होने की तारीख से कम से कम 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।
17. एक ही वाहन को एक से अधिक क्षेत्र के लिए उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

इच्छुक पार्टियां/उम्मीदवार/ट्रैवल्स एजेंसियां एक सीलबंद लिफाफे में जिसपर स्पष्ट रुप से प्रत्येक क्लस्टर के लिए स्पष्ट रुप से **“किराए पर वाहन लेने हेतु कोटेशन- ---------------- क्लस्टर”**
लिखा हो, में अलग-अलग कोटेशन जमा कर सकते हैं।

डाक द्वारा कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.06.2024 है। नियत तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दी जाएंगी । कोटेशन केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा नीचे दिए गए पते पर भेजे जाने चाहिए।

पता: वैज्ञानिक-डी एवं प्रमुख
क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान
केंद्रीय रेशम बोर्ड
कोडति गांव, कारमेलराम पोस्ट,
बेंगलूरू-560035

18. कोटेशन दिनांक 11.06.2024 को अपराह्न 3.00 बजे विधिवत गठित समिति द्वारा खोले जाएंगे । आगे यह सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है ।